अध्याय-I
प्रस्तावना

1.1 *बजट रूपरेखा*

रा.रा.क्षे.दिल्ली में 66 विभाग एवं 73 स्वायत्त निकाय हैं। 2008-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमानों एवं उनके विरूद्ध वास्तविकों की स्थिति **तालिका 1.1** में दी गई है:

तालिका 1.1
2008-13 के दौरान राज्य सरकार का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व										
सामान्य सेवाएं	1047.57	3434.55	1304.63	3629.67	1273.48	3728.95	1589.55	4347.23	3128.74	5738.57
सामाजिक सेवाएं	7047.55	6599.37	8370.95	8103.58	9345.57	8718.80	11567.05	10717.11	12616.68	11737.43
आर्थिक सेवाएं	1352.72	1272.69	1703.20	1650.28	1542.56	1392.46	2253.06	2172.22	2611.64	2350.82
सहायता अनुदान एवं योगदान	455.95	455.95	521.44	517.35	555.84	541.53	736.23	728.29	833.77	832.53
कुल (1)	**9903.79**	**11762.56**	**11900.22**	**13900.88**	**12717.45**	**14381.74**	**16145.89**	**17964.85**	**19190.83**	**20659.35**
पूँजी										
पूँजीगत व्यय	4082.16	3995.40	4883.55	4717.27	4433.08	3984.80	4209.53	4004.27	4835.80	4176.63
वितरित ऋण एवं अग्रिम	**4247.03**	4217.32	5702.05	5701.30	6378.47	6364.73	**3404.58**	**3345.42**	**4082.37**	**3734.83**
लोक ऋण का शोधन	**386.06**	386.03	699.50	606.47	800.00	793.06	**1090.00**	**1087.88**	**1288.00**	1287.99
आकस्मिकता निधि	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
लोक लेखों का विवरण	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
अन्त रोकड़ शेष	**0**	**5775.13**	**0**	**3387.70**	**0**	**7713.20**	**0**	**4636.28**	**0**	**1985.75**
कुल (2)	**8715.25**	**14373.88**	**11285.10**	**14412.74**	**11611.55**	**18855.79**	**8704.11**	**13073.85**	**10206.17**	**11185.20**
सकल जोड़ (1+2)	**18619.04**	**26136.44**	**23185.32**	**28313.62**	**24329.00**	**33237.53**	**24850.00**	**31038.70**	**29397.00**	**31844.55**

स्रोत: *राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन पत्र*

1.2 *राज्य सरकारकेसंसाधनों का अनुप्रयोग*

2012-13 के दौरान बजट के ₹ 29397.00 करोड़ की कुल लागत के विरूद्ध, कुल व्यय ₹ 29858.80 करोड़ का था। 2008-13 के दौरान राज्य का कुल व्यय (लोक ऋण के शोधन के अतिरिक्त) ₹ 19975.28 रोड़ से बढ़कर ₹ 28570.81 करोड़ हो गया था, राज्य का राजस्व व्यय 2008-09 में ₹ 11762.56 रोड़ से 2012-13 में ₹ 20659.35 करोड़ तक 75.64 *प्रतिशत* से बढ़ा था। 2008-13 की अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय ₹ 7818.42 करोड़ से ₹ 14160.64 करोड़ तक 81.12 *प्रतिशत* से बढ़ा था एवं पूँजी व्यय ₹ 3995.40 करोड़ से ₹ 4176.63 रोड़ तक 4.53 *प्रतिशत* से बढ़ा था।

2008-13 वर्षों के दौरान राजस्व व्यय ने कुल व्यय का 58.89 से 72.31 *प्रतिशत* संस्थापित किया था एवं पूँजी व्यय 20.00 से 14.62 *प्रतिशत* था। इस अवधि के दौरान, कुल व्यय 10 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर से बढ़ा था, जबकि राजस्व प्राप्तियाँ 2008-13 के दौरान 11.80 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत विकास दर से बढ़ी थीं।

1.3 *निरंतर बचतें*

पाँच मामलों में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचतें थीं जिनका विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया है:

तालिका 1.2
2008-13 के दौरान अनुदानों की निरन्तर बचतों के साथ सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	बचतों की राशि				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व–प्रभारित						
1	05-गृह	6.24 (52.34%)	2.56 (20.71%)	2.85 (23.53%)	6.49 (39.28%)	4.89 (29.33%)
राजस्व–दत्तमत्त						
2	07-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	10.83 (82%)	12.22 (81.47%)	2.04 (20.40%)	7.45 (74.50%)	1.93 (42.89%)
3	11-शहरी विकास एवं लोक निमार्ण विभाग	198.71 (100%)	198.93 (98.51%)	64.45 (31.06%)	300.93 (100%)	189.87 (55.86%)
पूँजी–दत्तमत्त						
4	08- सामाजिक कल्याण	46.71 (38.93%)	30.00 (50%)	10.00 (100%)	240.75 (96.30%)	8.39 (83.90%)
5	11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	29.00 (72.68%)	14.59 (24.31%)	8.16 (20.40%)	23.32 (66.62%)	19.54 (39.08%)

स्रोत: विनियोग लेखे

महत्वपूर्ण बचतें अनुदान संख्या 11 (राजस्व दत्तमत)-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग (2011-12 के दौरान ₹ 300.93 करोड़ एवं 2012-13 के दौरान ₹ 189.87 करोड़) एवं अनुदान संख्या 08 (पूँजी दत्तमत)-सामाजिक कल्याण (2011-12 के दौरान ₹ 240.75 करोड़) में पाई गयीं। यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

1.4 *भारत सरकार से सहायता अनुदान*

2008-09 से 2012-13 वर्षों के दौरान भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता **तालिका 1.3** में दी गई हैं:

तालिका 1.3
भारत सरकार से अनुदान सहायता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
गैर-योजनागत अनुदान	948.09	1913.12	2338.71	978.85	333.57
राज्य योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	793.11	1430.94	1743.49	728.54	861.81
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	57.22	60.92	144.81	86.22	57.92
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	72.37	131.10	130.39	167.03	249.22
कुल	**1870.79**	**3536.08**	**4357.40**	**1960.64**	**1502.52**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	42.49	89.02	23.23	(-)55.00	(-)23.37
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	11.44	17.29	17.41	8.76	5.88

2008-11 की अवधि के दौरान भारत सरकार से कुल सहायता अनुदान ₹ 1870.79 करोड़ से बढ़कर ₹ 4357.40 करोड़ हो गया। तदन्तर भारत सरकार द्वारा 2011-13 के दौरान 'गैर-योजनागत अनुदान' तथा 'राज्य योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान' में महत्वपूर्ण कमी की गई। यद्यपि, 2008-13 की अवधि के दौरान 'केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान' ₹ 72.37 करोड़ से बढ़कर ₹ 249.22 करोड़ हो

गया था। 2008-13 की अवधि के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान का राजस्व प्राप्तियों से 5.88 *प्रतिशत* तथा 17.41 *प्रतिशत* के मध्य था।

1.5 *लेखापरीक्षा की योजना तथा प्रबंधन*

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि, गतिविधियों की विवेचनात्मक/जटिलता, प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा ऋणधारकों के विषयों तथा पूर्व लेखापरीक्षा प्राप्तियों के जोखिम निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा विस्तार तय किए जाते हैं एवं एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा प्राप्तियों को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यालय प्रमुख को एक माह में उत्तर प्रदान करने के अनुरोध के साथ जारी की जाती है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है लेखापरीक्षा आपत्तियों का या तो निपटान किया जाता है अथवा आगे अनुपालना के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में निर्देशित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

2012-13 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय से राज्यों के 149 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा आठ स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा की गई। इनके अतिरिक्त, पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाएँ भी आयोजित की गई।

1.6 *महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ तथा लेखापरीक्षा को सरकार का प्रत्युत्तर*

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियाँ साथ ही चयनित विभागों के आंतरिक नियंत्रण विभिन्न की गुणवत्ता जिसका विभाग के क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव था, को बताया है। विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा तथा कार्यकारी अधिकारी को उपचारात्मक कार्रवाई करने एवं नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के उन्नयन के लिए उपर्युक्त सिफारिशें देने पर फोकस था।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा तथा लेखाओं के नियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए जाने के लिए ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट पैराग्राफों पर अपने प्रत्युत्तर सामान्यतः 6 सप्ताह में भिजवाने होते हैं। यह बात उनके ध्यान में लाई गई कि दिल्ली विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में ऐसे पैराग्राफों को शामिल करने के लिए यह आवश्यक होगा कि उनकी टिप्पणियाँ मामले में समाहित की जाए। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे निष्पादन लेखापरीक्षा के ड्राफ्ट प्रतिवेदनों को प्रधान महालेखाकार के साथ बैठक में चर्चा करें। प्रतिवेदन में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित इन ड्राफ्ट प्रतिवेदनों तथा पैराग्राफों को संबंधित प्रधान सचिवों/सचिवों को भी उनके उत्तर प्राप्त करने हेतु भेजा गया। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 11 ड्राफ्ट पैराग्राफ (विषयक लेखापरीक्षा शामिल करते हुए) संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजे गए किन्तु सिर्फ नौ मामलों में ही सरकार का उत्तर प्राप्त हुआ।

1.7 *लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली*

राज्य सरकार के विभागों के लेखों की केन्द्रीय लेखापरीक्षा के समय नमूना जाँच परीक्षा के दौरान वसूली शामिल करते हुए लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ पाई गईं जिन्हें विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ. एवं सं.अ.) की पुष्टि तथा लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

2012-13 के दौरान इंगित 70 मामलों में ₹ 2.21 करोड़ की वसूली के प्रति संबंधित आ. एवं सं.अ. ने 2012-13 के दौरान 69 मामलों में ₹ 3.23 करोड़ की वसूली (पूर्व वर्षों की वसूली सहित) को प्रभावित किया था।

1.8 *लेखापरीक्षा के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व में कमी*

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली सरकारी विभागों के लेन-देन की नमूना जाँच द्वारा आवधिक निरीक्षण आयोजित करता है तथा निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य दस्तावेजों का रखरखाव साक्ष्यांकित करती है। इन जॉचों के पश्चात् लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (निरीक्षण प्रतिवेदन) जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा जाँच के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताऐं इत्यादि पाई जाती हैं एवं तत्काल नहीं निपटाई जाती हैं, तो उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा को निरीक्षित कार्यालयाध्यक्ष को जारी किया जाता है। कार्यालयाध्यक्ष को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के चार हफ्तों के अंदर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अपनी अनुपालना सूचित करनी होती है।

नमूना जाँच के परिणामों पर आधारित, 31 मार्च 2013 को 920 निरीक्षण प्रतिवेदन में बकाया 3987 अभ्युक्तियॉ **तालिका 1.4** में दी गई हैं:

तालिका 1.4
बकाया लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/पैराग्राफ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैराग्राफ	शामिल राशि
1	सामाजिक क्षेत्र	709	2910	89.27
2	सामान्य क्षेत्र	51	550	167.16
3	आर्थिक क्षेत्र (गैर सासा.क्षे.उ.)	160	527	4653.81
कुल		**920**	**3987**	**4910.24**

सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र से संबंधित 1455 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ. एवं सं. अधि.) को जारी निरीक्षण प्रतिवेदन की विस्तृत संवीक्षा से पता चला कि लगभग ₹ 4743.08 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 869 निरीक्षण प्रतिवेदन के 3437 पैराग्राफ 31 मार्च 2013 के अंत तक बकाया थे। इनमें से सबसे पुरानी मद वर्ष 1987-88 में जारी निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित है तथा एक पैराग्राफ जिसमें ₹ 21 हजार का वित्तीय प्रभाव शामिल था उसे 25 सालों से निपटाया नहीं गया था।

विभागीय अधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल अभ्युक्तियों पर निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्रवाई करने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही में कमी हुई।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उचित एवं तत्काल प्रत्युत्तर को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान करें।

1.9 *लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही*

लोक लेखों पर समिति के आंतरिक कार्यों के लिये प्रक्रियाओं के नियम के अनुसार, प्रशासनिक विभाग नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में छपने वाले सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफ एवं रिव्यू पर, इस तथ्य पर ध्यान दिये बगैर कि क्या इनका लोक लेखा समिति द्वारा परीक्षण किया गया है अथवा नहीं स्वतः कार्यवाही करेगा जो कि राज्य विधान मण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के अन्दर, उठाये गये या उनके द्वारा प्रस्तावित किये गये उपचारी क्रियाकलापों को प्रदर्शित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा उचित रूप से पुनरीक्षित किया गया विस्तृत नोट भी प्रस्तुत करना होगा।

31 दिसम्बर 2013 को 31 मार्च 2012 की समाप्त होने वाली अवधि तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफों पर एक्शन टेकन नोट (एटीएन) की प्राप्ति से संबंधित स्थिति **तालिका 1.5** में दी गयी है:

तालिका 1.5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफों पर एटीएन की प्राप्ति से संबंधित स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	31 दिसम्बर 2013 को लंबित एटीएन	राज्य विधान सभा को प्रस्तुतीकरण की तिथि	एटीएन की प्राप्ति की नियत तिथि
सिविल / सामाजिक / सामान्य और आर्थिक क्षेत्र गैर–सा.क्षे.उ.	2009-10	लोनिवि	7	05.09.2011	04.12.2011
		दि.रा.औ.एवं सं.वि.नि.	2		
		दि.प.नि.	2		
		दिल्ली पॉवर	1		
		डीटीटीडीसीएल	1		
		स्वा. एवं परिवार कल्याण	1		
		एमपीलैड्स	1		
	2010-11	लोनिवि	3	06.06.2012	05.09.2012
		खाद्य आपूर्ति विभाग	1		
		दिल्ली पॉवर	3		
		दि.रा.औ.एवं सं.वि.नि.	1		
		दि.प.नि.	1		
		दिननि	1		
		सूचना एवं प्रसार निदेशालय	1		
		शिक्षा विभाग	1		
	2011-12	लोनिवि	1	02.04.2013	01.07.2013
		दि.प.नि.	1		
		दिल्ली जल बोर्ड	2		
		दि.रा.औ.एवं सं.वि.नि.	1		
		ज.ने.रा.श. एवं ग्रा.भि.	1		
		स्वा. एवं परिवार कल्याण	5		
		शहरी विकास	1		
		महिला एवं बाल विकास विभाग	1		
		दिननि	1		
राज्य वित्त	2009-10	वित्त एवं अन्य विभाग	सभी अध्याय	05.09.2011	04.12.2011
	2010-11	वित्त एवं अन्य विभाग	सभी अध्याय	06.06.2012	05.09.2012
	2011-12	वित्त एवं अन्य विभाग	सभी अध्याय	02.04.2013	01.07.2013

1.10 *राज्य विधानसभा में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की स्थिति*

कई स्वायत्त निकाय राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये गये हैं। इन निकायों की एक बड़ी संख्या उनके लेनदेनों, परिचालानात्मक गतिविधियां और लेखे, नियमितता अनुपालना लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की संवीक्षा, वित्तीय नियंत्रण तथा प्रणाली एवं प्रक्रियाओं की संवीक्षा इत्यादि को सुनिश्चित करने के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित की जाती है। राज्य में नौ स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी। लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी, लेखापरीक्षा को लेखाओं का सौंपना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी करना तथा विधानमण्डल में इसको रखा जाना **अनुलग्नक 1.1** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2003-04 से 2012-13 के लिये लेखापरीक्षा द्वारा जारी किये गये चार स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प.प्रति.) अभी भी दिल्ली विधान सभा में प्रस्तुत की जानी है **(अनुलग्नक 1.1)**। इन्हें शीघ्र ही राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।

1.11 *लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गए पैराग्राफ एवं पुनरीक्षणों का वर्ष-वार विवरण*

पिछले दो वर्षों के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए पैराग्राफों एवं पुनरीक्षणों उनकी धनराशि के साथ **तालिका 1.6** में दिये गये हैं:

तालिका 1.6
2010-12 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गए पैराग्राफ एवं पुनरीक्षणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा/सीसीओ आधारित लेखापरीक्षा/विषयक लेखापरीक्षा		पैराग्राफ	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2010-11	2	2.93	9	11.71
2011-12	11	8951.52	7	12.15

2012-13 के दौरान, ₹ 94.77 करोड़ धनराशि की पॉच निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 226.57 करोड़ धनराशि के 10 पैराग्राफ इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये इनमें से चार निष्पादन लेखापरीक्षा एवं पॉच पैराग्राफ के उत्तर प्राप्त हुए (फरवरी 2014)।